2014/00153 (44)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–120 / 2015

सूरज पुत्रश्री वीरनारायन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मढा तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

———————वादी

बनाम

1–रामेश्वर पुत्रश्री छिद्दा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मढा तहसील सैपऊ

2–महादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मढा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ --------**प्रतिवादी**

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–

1–श्रीमती महादेवी – प्रतिवादी संख्या 2

निर्णय **दिनांक** :14.7.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1278, 1500, 1501, 1505, 1506, 1507 वाके ग्राम कांकोली एवं आराजी खसरा नम्बर 1829 वाके ग्राम धन्ना का नगला तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 11.7.2017 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को मौके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 2 महादेवी उपस्थित । प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का प्रतिवादिया को अवलोकन कराया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रतिवादिया द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आदेशानुसार ही तैयार कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सेपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम कांकोली व धन्ना का नगला तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–महादेवी पत्नी लक्ष्मीनाराण जाति गुर्जर निवासी ग्राम मढा तहसील सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1278/1	1.03
	1501	1.09
योग	2	2.12

2–सूरज पुत्रश्री वीरनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मढा तहसील सेपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1278/2	1.08
	1500	1.04
	1829	2.06
	1506/1	0.07
योग	4	5.05

3–रामेश्वर पुत्रश्री छिद्दा जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम मढा तहसील सेपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1505	0.18
	1506/2	0.15
	1507	0.19
योग	3	2.12

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

ग्राम पंचायत ....